

जाति संशोधन हेतु आवेदन पत्र

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

विषय:- जाति संशोधन नाम चमार के बजाय बैरवा दर्ज करवाने बाबत ।

महोदयजी,


उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी श्री नारायण
पिता राममल जाति बैरवा निवासी वीरवा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा का रहने वाला
हूँ। प्रार्थी की जाति ग्राम वीरवा पटवार मण्डल वीरवा के खाता संख्या 233 में चमार
दर्ज है, जबकि मेरी वास्तविक जाति बैरवा है।
राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.05(8) राज.-प./83/राज-6/96/जयपुर दिनांक 01-11-1996 से
जाति शुद्धि करने के स्पष्ट आदेश है। अतः प्रार्थी की जाति राजस्व रिकॉर्ड में चमार के बजाय बैरवा दर्ज
करने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

()
नारायण वीरवा


रिपोर्ट-पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक

मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड श्री नारायण पिता राममल की
ग्राम वीरवा प०म० वीरवा के खाता संख्या 233 में जाति चमार दर्ज है, जबकि आवेदक की
वास्तविक जाति बैरवा है। अतः प्रार्थी की जाति चमार के बजाय बैरवा करने का आदेश फरमाने की कृपा
करें।


पटवारी वीरवा
प०म० वीरवा
मू०ज०नि०
वृत्त वीरवा
92-8-2022


रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व भूअ.नि. के प्रार्थी श्री नारायण पिता राममल की
ग्राम वीरवा प०म० वीरवा के खाता संख्या 233 में जाति चमार के बजाय बैरवा करने की
सिफारिश की जाती है ।


तहसीलदार/नायब तहसीलदार
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार शाहपुरा की अभिषंशा के प्रार्थी
श्री नारायण पिता राममल की वास्तविक जाति बैरवा है। अतः ग्राम वीरवा
प०म० वीरवा के राजस्व रिकॉर्ड के खाता संख्या 233 में जाति चमार के बजाय बैरवा करने का आदेश
दिया जाता है। अतः तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जावें।


उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा
ग्रामारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)